



2026:AHC:65085

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 5928 वर्ष 2026

सनन्दन पाण्डेय

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सच्चिदानंद श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
- वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 215/2022 अंतर्गत धारा 420, 406, भारतीय दंड संहिता, थाना जोगिया उदयपुर, जिला सिद्धार्थ नगर से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 5729/2024 (राज्य बनाम सनंदन पांडेय), की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आरोप-पत्र दिनांक 22.12.2022 तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 21.04.2023, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थ नगर के समक्ष लंबित है, को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले के आक्षेपित आरोप-पत्र, संज्ञान/सम्मन आदेश और संपूर्ण कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिपोर्टेड 2024 10 एससीसी 690 के मामले में स्थापित कानून के प्रस्ताव के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 एक साथ एक ही मामले में नहीं चल सकतीं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"38. हमारी राय में, शिकायत को साधारण रूप से पढ़ने पर ऊपर बताए गए उपर्युक्त तत्वों में से कोई भी स्पष्ट नहीं होता है। हम केवल पुलिस और अवर न्यायालयों के मन में कानून के संबंध में व्याप्त एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से यह कह सकते हैं कि, यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित और धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय 'आपराधिक विश्वासघात' का अपराध किया गया है, तो उसी समय (एक ही साथ) यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित और समझाई गई तथा धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय 'धोखाधड़ी' का अपराध भी किया है।

41. केवल अनुबंध के उल्लंघन और 'आपराधिक न्यास भंग एवं 'धोखाधड़ी' के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन देने के समय अभियुक्त की मंशा को देखा जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केवल बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही, यानी उस समय से जब अपराध किया जाना बताया गया है, कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण मंशा न दिखाई गई हो। अतः, यह मंशा ही है, जो इस अपराध का सार है।

43. 'आपराधिक न्यास भंग और 'धोखाधड़ी' के बीच एक स्पष्ट अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय, अर्थात् शुरुआत से ही आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। आपराधिक न्यास भंग में, केवल 'सुपुर्दगी' का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यास भंग के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे 'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक न्यास भंग' के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। तथ्यों के एक ही सेट में



दोनों अपराध एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के ये दो प्रावधान जुड़वाँ नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित न रह सकें।"

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित सिद्धांतों पर विवाद उत्पन्न करने में असमर्थ रहे।

5. चूंकि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कानूनी मुद्दा उठाया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 2 एवं 3 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, मामले के रिकॉर्ड और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन करने के बाद, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों धाराएं अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 एक साथ नहीं चल सकतीं, और इसलिए, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 21.04.2023 अपास्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में निर्णय 23.08.2024 को सुनाया गया है और वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान 21.04.2023 को लिया गया है, तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 443] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमेशा पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा, जब तक कि निर्णय में स्वयं विशेष रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

7. उपरोक्त के आलोक में, मुकदमा अपराध संख्या 215/2022 अंतर्गत धारा 420, 406, भारतीय दंड संहिता, थाना जोगिया उदयपुर, जिला सिद्धार्थ नगर से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 5729/2024 (राज्य बनाम सनंदन पांडेय), में पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 21.04.2023 को केवल यहाँ नामित आवेदक(कों) के संबंध में रद्द किया जाता है। मामले को संबंधित विद्वान न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि, यदि आवश्यक हो, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'दिल्ली रेस क्लब' (उपरोक्त) के मामले में स्थापित कानून के सिद्धांतों के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने हेतु नया आदेश पारित करें।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 मार्च, 2026

के.एन.

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।